

## गुम/खोये 125 अदद मोबाइल, अनुमानित कीमत लगभग 2500000 (पच्चीस लाख रुपये) बरामद कर अपर पुलिस अधीक्षक मऊ ने मोबाइल स्वामियों को किये सुपुर्द-

पुलिस अधीक्षक मऊ, श्री ईलामारन जी के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक, श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत एवं प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश सिंह साइबर थाना मऊ के मार्गदर्शन में जनपदीय साइबर सेल टीम की सतत् मॉनिटरिंग में जनपद के समस्त थानों पर गठित साइबर सेल टीम व मोबाइल बरामदगी टीम द्वारा जनपद मऊ के भिन्न-भिन्न स्थानों से गुम हुये कुल 125 मोबाइल फोन कीमत करीब 25 लाख रुपये को ceir.gov.in पोर्टल की मदद से बरामद करते हुये वास्तविक मोबाइल स्वामियों को आज दिनांक 17.02.2026 को सुपुर्द किया गया। समस्त मोबाइल धारक अपना खोया हुआ मोबाइल पाकर बहुत प्रसन्न हुये और मऊ पुलिस की प्रशंसा की। मोबाइल बरामदगी का थानावारण विवरण निम्न है-

### थानावार बरामद मोबाइल विवरण-

कोतवाली – 10	सरायलखंसी – 3	दक्षिणटोला – 8	साइबर थाना - 9
रानीपुर – 6	चिरैयाकोट – 5	मुहम्दाबाद -18	कोपागंज -18
घोसी -13	दोहरीघाट – 10	मधुबन – 13	रामपुर – 2
हलधरपुर - 10			

### बरामदगी टीम विवरण थानावार-

**थाना कोतवाली** – म0उ0नि0 सपना, म0उ0नि0 तृप्ति पाण्डेय, क0आ0 रविकांत सोंधिया आदि साइबर टीम

**थाना सरायलखंसी**- उ0नि0 जनमेजय शर्मा, क0आ0 आशीष द्विवेदी, म0का0 शिखा तिवारी आदि साइबर टीम

**थाना दक्षिणटोला**- उ0नि0 हरिकेश यादव, क0आ0 नवनीत पाण्डेय, का0 कुलदीप पटेल आदि साइबर टीम

**साइबर थाना**- प्र0नि0 शैलेश सिंह, हे0का0 शैलेन्द्र कन्नौजिया, का0 प्रदीप कुमार पटेल, का0 अनूप कुमार

**थाना रानीपुर** – उ0नि0 रामाज्ञा कुमार, म0का0 प्रियंका मिश्रा, क0आ0 अब्दूल रब आदि साइबर टीम

**थाना चिरैयाकोट**- उ0नि0 गिरधर सिंह, क0आ0 नौशाद अहमद, म0का0 प्राची पाण्डेय, म0का0 सरिता बानो, का0 प्रदीप कुमार आदि साइबर टीम

**थाना मुहम्दाबाद** – उ0नि0 पंकज कुमार, का0 चन्द्रभान, का0 महेश पाल, म0कां0 प्रिया सिंह, म0कां0 शालिनी मौर्या आदि साइबर टीम

**थाना कोपागंज**- उ0नि0 उमाशंकर सिंह, क0आ0 अभिजित पटेल, का0 सविता मौर्या आदि साइबर टीम

**थाना घोसी**- उ0नि0 प्रकाश कुमार, क0आ0 अरविन्द कुमार यादव, म0का0 काजल सिंह, म0का0 पुष्पलता पाण्डेय आदि साइबर टीम

**थाना दोहरीघाट** – उ0नि0 सत्येन्द्र प्रजापति, क0आ0 सुनील कुमार, हे0का0 सन्तोष यादव, म0का0 प्रज्ञा शुक्ला आदि साइबर टीम

**थाना मधुबन**- उ0नि0 दीपनरायन कुमार, का0 शिव कुमार सरोज, म0का0 प्रतिमा सिंह आदि साइबर टीम

**थाना हलधरपुर**- उ0नि0 अजय कुमार बर्नवाल, म0उ0नि0 रिया सिन्हा, क0आ0 नुपुर खरे, का0 मारतेन्दु शुक्ला आदि साइबर टीम

**थाना रामपुर**- उ0नि0 अभिषेक तिवारी, का0 निलेश कुमार मिश्रा, का0 प्रवीण कुमार, का0 कलीम अहमद आदि साइबर टीम

**जनपदीय साइबर सेल टीम**- उ0नि0 राजेश्वर कुमार पाण्डेय, क0आ0 प्रतीक चन्द्र शुक्ल, का0 करन अभिषेक सिंह, का0 शरद मिश्र, साइबर सेल टीम जनपद मऊ

### **मोबाईल गुम होने पर क्या करें-**

मोबाईल गुम होने की दशा में निकटतम पुलिस थाना पर जाकर लिखित प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत दर्ज करायें अथवा मोबाईल एप्प UPCOP के माध्यम से गुम सम्पत्ति टैब में गुम हुये मोबाईल का पूर्ण विवरण दर्ज करें, तत्पश्चात नया सिम प्राप्त करें जो गुम हुआ हो। [ceir.gov.in](http://ceir.gov.in) पोर्टल पर **block stolen/lost mobile** टैब में खोये हुये मोबाईल का विवरण सही-सही दर्ज करें, आपके नम्बर पर पंजीकरण संख्या प्राप्त होगा जिसे सुरक्षित रखें। जब मोबाईल ट्रैस होगा उस दशा में आपके नम्बर पर SMS के द्वारा जानकारी प्राप्त होगी, तत्पश्चात निकटतम थाना सम्पर्क करें।

**सोशल मीडिया सेल, मऊ।**

यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वार फ्राड की गयी 10,000/- रु0 कुल धनराशि (दस हजार रुपये) रुपये थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वार फ्राड की गयी 10000/- रु0 कुल धनराशि (दस हजार रुपये) पीडिता प्रियंका पुत्री हरिश्चंद्र निवासी रुक्कनपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ। आवेदक के कुल धनराशि 10,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना मुहम्मदाबाद

के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

#### **बरामदकर्ता-**

1. म0आ0 प्रिया सिंह थाना मुहम्मदाबाद
2. म0आ0 शालिनी मौर्या थाना मुहम्मदाबाद

**यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वार फ़ाड की गयी 10,000/- रु0 कुल धनराशि (दस हजार रुपये) रुपये थाना दक्षिण टोला साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वार फ़ाड की गयी 10000/- रु0 कुल धनराशि (दस हजार रुपये) पीडित विद्यांशु गौतम निवासी बैजापुर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ। आवेदक के कुल धनराशि 10,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना दक्षिण टोला के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

#### **बरामदकर्ता-**

1. थानाध्यक्ष बसन्त लाल
2. उ0नि0 हरिकेश यादव
3. क0आ0 नवनीत पाण्डेय
4. म0का0 स्वाती चौबे।

#### **15 नफर वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 17.02.2026 को थाना **सरायलखन्सी पुलिस** द्वारा वारंटी अभियुक्तगण रामकरन चौहान पुत्र सुखराम चौहान निवासी रैकवारेडीह सरेजा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ, 2. खरपत्तू उर्फ मनोज पुत्र स्व0 सुदर्शन निवासी हासपुर रैकवाराडीह थाना सरायलखन्सी, 3. अच्छेलाल पुत्र सम्भू राम निवासी बहरीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण वीर बहादुर यादव पुत्र श्री किशुन यादव निवासी मझौला थाना हलधरपुर, 2. रामकिशुन राजभर पुत्र स्व0 मनीराम राजभर निवासी पिण्डोहरी थाना हलधरपुर, 3. आशा देवी पत्नी राजीव मौर्य निवासी मुहम्मदपुर बरहीया थाना हलधरपुर, थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा वारंटी पंकज सिंह पुत्र तारकेश्वर सिंह निवासी करमी थाना चिरैया कोट, थाना **कोतवाली नगर**

पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण निर्मला पत्नी जवाहिर मद्धेशिया निवासी रामलाल की गली निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली नगर, 2. रोहित उर्फ गोलू, 3. छोटू उर्फ राजेश्वर पुत्रगण स्व0 राजू, 4. बिजमा पत्नी स्व0 राजू निवासीगम हट्टीमदारी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ,5. अरशद जमाल पुत्र शब्बीर अहमद निवासी भिखारी पुर थाना कोतवाली नगर, 6. सुरेन्द्र मल्लाह पुत्र खदेरु मल्लाह निवासी बल्लीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण सुबाष पुत्र गोबिंद निवासी जमालपुर भरौटी, 2. श्याम लाल यादव पुत्र लोचन यादव निवासी कुतुबपुर मकरी, 3 शिवशंकर उर्फ गुड्डू पुत्र सुखराम सिंह निवासी बरदहपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायाल किया गया ।

### **01वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है जिसमें मु0अ0स0 216/2025 धारा 221,132,121(1),121(2),324(4),125, 352,351(2), 262, 241, 109(1), 224, 3(5) ,115)2( BNS से सम्बन्धित अभियुक्त शिवप्रताप सिंह उर्फ कृष्ण कुमार सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पिरूवां थाना रानीपुर जनपद मऊ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है । अभियान के क्रम में आज दिनांक 17/02/2026 को अभियान के क्रम में वांछित अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी करता हुआ सर्विलान्स के लोकेशन के आधार पर जनपद वाराणसी पहुँच कर लोकेशन के आधार पर मुखबीर सूचना वांछित अभियुक्त शिव प्रताप सिंह जो जवाहर नगर तिराहे के पास पहुचते ही पुलिस वालो को अचानक अपनी तरफ आता देख कर भागना चाहा कि हिकमत अमली से मौके पर पकड़ लिया गया नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम शिव प्रताप सिंह उर्फ कृष्ण कुमार सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र महेन्द्र सिंह साकिन पिरूवां थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र वर्ष 56वर्ष बताया भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब मै पुलिस की डर से भाग रहा था क्यो कि मुझे मालुम हो गया था कि पुलिस मुझे खोज रही है थाना रानीपुर जनपद मऊ में मेरे विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है और मै नामजद अभियुक्त हूँ । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त:-**

शिव प्रताप सिंह उर्फ कृष्ण कुमार सिंह उर्फ गुड्डू पुत्र महेन्द्र सिंह साकिन पिरूवां थाना रानीपुर जनपद मऊ पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 216/2025 धारा 221,132,121(1),121(2),324(4),125, 352,351(2), 262, 241, 109(1), 224, 3(5) ,115)2( BNS

### **पुलिस टीम-**

उ0नि0 अख्तर अली

हे0का0 सुभाषचन्द ,

म0का0 प्रियंका मिश्रा ।